**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 688**

**उत्तर देने की तारीखः 27.07.2015**

**स्कूलों में पेयजल नलकूपों और शौचालयों की कमी**

**688. श्री नरेश अग्रवालः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी स्कूलों में पेयजल नलकूपों एवं शौचालयों की अत्‍यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में सरकारी स्कूलों में पेयजल नलकूपों एवं शौचालयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार पेयजल नलकूपों एवं शौचालयों की संख्या बढ़ाने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

**(क) और (ख): एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई) 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार, 10.94 लाख सरकारी स्‍कूलों में से 10.29 लाख स्‍कूलों में पेयजल सुविधा है। एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी स्‍कूलों में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालय का प्रावधान करने के लिए स्‍वच्‍छ विद्यालय पहल आरंभ की गई है।**

**(ग) और (घ): भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) कार्यक्रमों के अंतर्गत पेयजल और शौचालयों सहित स्‍कूल अवसंरचना में वृद्धि और सुधार हेतु राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को वित्‍तीय सहायता प्रदान करती है। एसएसए और आरएमएसए कार्यक्रमों के अंतर्गत इनके आरंभ होने से अब तक राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में 2.60 लाख पेयजल सुविधाएं और 10.26 लाख शौचालय स्‍वीकृत किए गए हैं।**

\*\*\*\*\*